

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फाइल सं. 7/09/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली

दिनांक 22 दिसंबर, 2023

अंतिम जांच अधिसूचना

मामला संख्या: एसएसआर (एनसी/01/2023)

विषय: यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में सिंगापुर से उत्पादक/निर्यातक का नाम परिवर्तन करने तक सीमित मध्यावधि समीक्षा जांच।

समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में कहा गया है) और तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर शुल्क अथवा, अतिरिक्त शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद "नियमावली" के रूप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए ;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. जबकि उपरोक्त अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में कहा गया है) ने दिनांक 5 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 7/26/2018-डीजीएडी के तहत अंतिम जांच परिणाम

जारी किए थे, जिसमें यूरोपीय संघ, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका (इसके बाद "संबद्ध देशों" के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एसीटोन" के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई।

2. और जबकि केंद्र सरकार ने दिनांक 25 मार्च, 2019 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 14/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था।
3. मैसर्स इनियोस फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. (इसके बाद "आवेदक" के रूप में भी कहा गया है) ने इनियोस होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लि. का अधिग्रहण किए जाने के बाद उपरोक्त सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में उत्पादक का नाम मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. से बदलकर इनियोस फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. रखने के लिए दिनांक 30 जून, 2023 को एक आवेदन दायर किया है।
4. और, इसके बाद, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी ने दिनांक 18 सितंबर, 2023 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जो भारत के राजपत्र असाधारण भाग I, खंड I में प्रकाशित हुई थी, जिसके तहत यूरोपीय संघ, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में सिंगापुर से उत्पादक/ निर्यातक के नाम में परिवर्तन करने तक सीमित मध्यावधि समीक्षा शुरू की गई। यह समीक्षा दिनांक 5 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 7/26/2018- डीडीएडी के अंतिम जांच परिणामों और दिनांक 25 मार्च, 2019 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 14/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के संबंध में मैसर्स इनियोस फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. (इसके बाद इसे "आवेदक" के रूप में कहा गया है) द्वारा दावा किए गए अनुसार केवल नाम परिवर्तन करने के पहलु तक ही सीमित है।

ख. प्रक्रिया

5. जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :

- i. प्राधिकारी ने दिनांक 18 सितंबर, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें यूरोपीय संघ सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में सिंगापुर से उत्पादक/ निर्यातक के नाम में परिवर्तन करने तक सीमित मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत की गई।
- ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के दूतावासों और भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात घरेलू उत्पादकों (जिनका विवरण आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया था) को दिनांक 18 सितंबर, 2023 की जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, सूचना के प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया।
- iii. वर्तमान जांच के प्रयोजन से जांच की कोई भी अवधि निर्धारित नहीं थी, क्योंकि जांच का दायरा केवल आवेदक के नाम में परिवर्तन करने तक ही सीमित था।
- iv. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदक के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान की। आवेदन की एक प्रति आवश्यकतानुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी प्रदान की गई थी।
- v. प्राधिकारी ने प्रदान की गई सूचना की सटीकता और पर्याप्तता के लिए बदली हुई परिस्थिति के संबंध में निर्यातक द्वारा दी गई जानकारी की जांच की है।
- vi. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 10 नवंबर, 2023 को हुई सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। सार्वजनिक सुनवाई में अपने मौखिक रूप से विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से प्रस्तुत किए गए अपने विचारों को लिखित अनुरोधों के रूप में दायर करें और

उसके बाद प्रत्युत्तर दायर करें। वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक समझी गई सीमा तक हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित अनुरोधों और उन पर प्रत्युत्तरों में किए गए तर्कों पर प्रकटीकरण विवरण में विचार किया गया है।

- vii. गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा 'गोपनीय आधार' पर प्रदान की गई सूचना की जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर, जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां भी संभव है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने के लिए निर्देश दिया गया था।
- viii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान सूचना सुलभ कराने से इंकार किया है अथवा अन्यथा सूचना प्रदान नहीं की है अथवा जांच में काफी बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने 'उपलब्ध तथ्यों' के आधार पर मामले की जांच की है।

ग. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. सिंगापुर से आवेदक, मैसर्स इनियोस फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
 - i. कंपनी द्वारा यह कहा गया है कि इनियोस होल्डिंग्स लिमिटेड ने मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. में 100 प्रतिशत शेयरों का अधिग्रहण किया है। यह दिनांक 26 अगस्त, 2022 को इनियोस होल्डिंग्स लिमिटेड और मित्सुई केमिकलस, इंक. के बीच किए गए शेयर खरीद करार के अनुसार था।
 - ii. आवेदक द्वारा यह दावा किया गया है कि कंपनी के स्वामी को बदल दिया गया है लेकिन इनियोस फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. की उत्पादन क्षमता, उत्पादन उपकरण, आपूर्तिकर्ता संबंध, ग्राहक आधार, बिक्री चैनलों

और कंपनी के एसीटोन के कारोबार से संबंधित व्यवसाय संचालन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल प्रबंधन कर्मियों में मामूली बदलाव हुआ है।

- iii. आवेदक ने दावा किया है कि वित्त, खरीद, मानव संसाधन और आईटी जैसे कंपनी को कार्यात्मक समर्थन कार्यों को अब इनियोस फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. के इनहाउस कर्मचारियों द्वारा मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. में संभाला जाता है, इन समर्थन कार्यों को एक साझा सेवा भागीदारी संस्था, अर्थात् मित्सुई केमिकल एशिया प्रशांत द्वारा नियंत्रित किया गया था।
- iv. आवेदक ने यह दावा किया है कि सामान्य मूल्य या निर्यात मूल्य निर्धारण के लिए प्रासंगिक किसी भी मापदंड में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- v. इसके अलावा, आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि इनियोस ग्रुप के भीतर कुछ संस्थाएं, नामतः यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य से संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करती हैं, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से भारत को संबद्ध वस्तुएं निर्यात की गई हो सकती हैं। तथापि, आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि शुल्कों की प्रवंचना का कोई जोखिम नहीं है।
- vi. आवेदक ने अनुरोध किया है कि इनियोस ग्रुप में संस्थाएं पृथक प्रबंधन संरचनाओं का रखरखाव करती हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया और व्यवसाय प्रचालनों में स्वतंत्रता सुनिश्चित करती हैं। उनकी स्वतंत्रता न केवल उनके कानूनी दर्जे में दिखाई देती है, बल्कि अपने दैनिक क्रियाकलापों में भी दिखाई देती है, जहां प्रत्येक संस्था ग्रुप के भीतर दूसरों के हस्तक्षेप के बिना अपने रणनीतिक लक्ष्यों और वाणिज्यिक हितों का पालन करती हैं।
- vii. आवेदक ने अनुरोध किया है कि ट्रांसशिपमेंट का कोई जोखिम नहीं है। यहां तक कि सिंगापुर के माध्यम से ट्रांसशिपमेंट पर विचार करने वाले इनियोस ग्रुप के काल्पनिक परिदृश्य में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह विकल्प व्यावसायिक रूप से संभव नहीं होगा, और इसे किसी भी निर्माता के लिए एक मजबूत कारोबारी निर्णय नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य से उत्पादक पहले ही सिंगापुर के

माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के ट्रांस-शिपमेंट से शुल्कों की प्रवंचना (और 120-150 यूएसडी/ मी.टन शुल्क बचत) कर सकते थे, क्योंकि सिंगापुर के लिए अवशिष्ट पाटनरोधी शुल्क यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य के लिए लागू पाटनरोधी शुल्क से काफी कम हैं। तथापि, इनियोस द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं गई है।

- viii. आवेदक ने यह भी अनुरोध किया कि इस तरह से भारतीय उत्पादकों द्वारा किसी भी कथित प्रवंचना का कोई रिकार्ड नहीं है, जो यह भी पुष्टि करता हो कि इस प्रकार की कोई प्रवंचना नहीं हुई है।

घ. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

7. घरेलू उद्योग द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

ड. प्रकटन पश्चात अनुरोध

घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

8. प्रकटीकरण विवरण जारी होने के बाद घरेलू उद्योग द्वारा कोई प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया।

इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

9. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उसके नाम की वर्तनी अनजाने में इनियोस फिनोल्स सिंगापुर पीटीई के रूप में दर्ज की गई है। इनियोस फिनोल सिंगापुर पीटीई के बजाय लिमिटेड। लिमिटेड और प्राधिकरण से अंतिम निष्कर्षों में आवेदक का सही नाम दर्ज करने का अनुरोध किया है।

10. आवेदक ने इस समझौते में आवश्यक तथ्यों के प्राधिकरण के रिकार्ड के साथ अपनी सहमति व्यक्त की है।


च. प्राधिकारी द्वारा जांच

11. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर इस प्रकार कार्रवाई की गई है :
- i. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक के नाम में परिवर्तन इनियोस होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण के परिणामस्वरूप किया गया था, जिसने मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लि. में 100 प्रतिशत शेयरों का अधिग्रहण किया था। यह इनियोस होल्डिंग्स लिमि. और मित्सुई केमिकल्स इंक के बीच दर्ज किए गए एक शेयर खरीद समझौते के तहत था। यह आवेदक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों में परिलक्षित हुआ है, जिसमें अधिग्रहण को अधिकृत करने और उसके ब्यौरे प्रदान करने के संबंध में मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. के बोर्ड के निदेशक का संकल्प, कंपनी की अद्यतन कारोबारी प्रोफाइल, जो अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रेगुलेटरी अथोरिटी ऑफ सिंगापुर द्वारा प्रदान की गई, जिसमें नाम में परिवर्तन का उल्लेख किया गया था और इनियोस फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. के निगमन का प्रमाणपत्र शामिल है।
 - ii. द्वितीय. प्राधिकरण ने इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के बाद के अनुरोधों की जांच की है और आवेदक द्वारा इनियोस फिनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड के नाम की वर्तनी में अनुरोध किए गए सुधार पर ध्यान दिया है।

छ. प्रस्तावित सिफारिशें

12. मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, जिसमें आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध शामिल हैं, प्राधिकारी ने यह पाया है कि उत्पादक/ निर्यातक मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. का नाम बदलकर इनियोस फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. किया गया है।
13. तदनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 5 मार्च, 2019 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 7/26/2018- डीजीएडी के पैरा 94 में शुल्क तालिका में निम्नलिखित परिवर्तन करने की सिफारिश करने का प्रस्ताव किया है :

- क. कॉलम 5 में क्र. सं. 1 पर उत्पादक 'मैसर्स मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि.' का नाम संशोधित रूप से मैसर्स इनियोस फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. पढ़ा जाए।
14. तदनुसार, प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि दिनांक 25.03.2019 की अधिसूचना सं. 14/2019- सीमा शुल्क (एडीडी) में आवश्यक संशोधन भी किए जाए।
15. प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त उत्तरों/ टिप्पणियों की जांच करने के बाद अंतिम जांच परिणामों का प्रस्ताव करते हैं।


(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी